प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 12.11.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब व पावर ट्रैक ट्रैक्टर बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2021 को थाना मैगलगंज पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान हाईवे रोड चौखडिया ग्राम गुरुदेवखेडा के पास से 02 अभियुक्तों 1.सुरजीत पुत्र जसवीर नि0 ग्राम कथोरा थाना गोहाना जनपद सोनीपत, हरियाणा 2.नरेंन्द्र सिंह पुत्र मनोज सिंह नि0 मोंगा पटियाला थाना पटियाला जनपद संगरुर, पंजाब को 655 ली0 पंजाब प्रान्त की अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 650000/- रुपये मय एक ट्रैक्टर पावर ट्रैक 445 मय मड लोडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 524/2021 धारा 60/63/72 उत्तरप्रदेश आबकारी अधिनियम व 207 मोटरयान अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सुरजीत पुत्र जसवीर नि0 ग्राम कथोरा थाना गोहाना जनपद सोनीपत, हरियाणा
2. नरेंन्द्र सिंह पुत्र मनोज सिंह नि0 मोंगा पटियाला थाना पटियाला जनपद संगरुर, पंजाब

बरामदगी का विवरणः-

1. 10 पेटी फुल बोतल इम्पीरियल ब्लू कुल 120 बोतल
2. 24 पेटी क्वाटर इम्पीरियल ब्लू कुल 1152 क्वाटर
3. 36 पेटी हाफ इम्पीरियल ब्लू कुल 864 हाफ
4. 140 बोतल इम्पीरियल ब्लू खुली हुई
5. 01 अदद ट्रैक्टर पावर ट्रैक 445 चैसिस नं0 B3086277 (रंग नीला)
6. एक मडलोडर (रंग हरा)

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक चिरंजीव मोहन थाना मैगलगंज
2. आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार यादव
3. उ0नि0 बाबूराम
4. हे0का0 संतूलाल भारती
5. का0 केदारनाथ शुक्ल
6. का0 अनूप कुमार
7. का0 अतुल कुमार
8. का0 अभय विश्नोई

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, हत्या की घटना में वांछित/फरार अभियुक्त को आलाकत्ल बरामद करके किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 12.11.21 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 577/2021 धारा 147/148/149/302/323/504/506 भादवि में वांछित एवं फरार चल रहे अभियुक्त मुनक्के उर्फ शिवकुमार सिंह नि0 ग्राम बगरेठी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मुनक्के उर्फ शिवकुमार सिंह की निशादेही पर ग्राम बगरेठी से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद लाठी/डण्डा बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम/पताः-

1.मुनक्के उर्फ शिवकुमार सिंह नि0 ग्राम बगरेठी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद लाठी/ डण्डा आला कत्ल

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 577/2021 धारा 147/148/149/302/323/504/506 भादवि ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.निरीक्षक अपराध श्री अखिलेश कुमार यादव
2.उ0नि0 कौशल किशोर
3.हे0का0 मिथलेश यादव
4.का0 नितीश यादव
5.का0 राजीव कुमार
6.का0 सचिन कुमार
7.का0 मनीष कुमार वर्मा

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त दीपू कुमार को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 12.11.21 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद करके अभियुक्त दीपू कुमार पुत्र श्रीकृष्ण नि0 ग्राम नौसरजोगी थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भीरा पर मु0अ0सं0 429/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

<u>यातायात माह, नवम्बर 2021 के अंतर्गत पैम्पलेट बांट कर स्कूली छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई</u>

माह नवम्बर में "यातायात जागरूकता अभियान" के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत धर्म सभा इंटर कॉलेज खीरी में एनसीसी कैडेट एवं अन्य छात्रों को पैम्पलेट देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान सहायक संभागीय अधिकारी श्री रमेश चंद्र चौबे एवं यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव मय यातायात पुलिस आरक्षी संदीप कुमार आरक्षी विजय प्रताप सिंह आरक्षी रोहित कुमार आरक्षी धर्मेश कुमार द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि आये दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है जिसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलायें, नशे की हालत में तथा मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। इस अभियान के तहत स्कूली छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई।

यातायात जागरूकता अभियान के तहत शहर के कृष्णा क्रॉसिंग, संकटा देवी, धर्मशाला व अन्य स्थानों पर पैम्लेट वितरण कर लाउडस्पीकर, म्यूजिक के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में बताया गया । नियमों की अनदेखी करने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 215 वाहनो का चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया गया है।

थाना गोला पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त अभिनन्दन पुत्र विजयपाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिनन्दन पुत्र विजयपाल निवासी सौठिया थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गोला पर मु0अ0सं0 597/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर अभियुक्त चांद मिया पुत्र बाबू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त चांद मिया पुत्र बाबू निवासी सिसौरा नासिर थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना पसगवां पर मु0अ0सं0 445/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्त 1. अशोक कुमार पुत्र कामता प्रसाद व 03 अन्य नफर अभियुक्तगण सर्व निवासीगण कोरारा थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 760 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना फरधान पर मु0अ0सं0 335/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 523 लीटर अवैध कच्ची शराब, 05 अवैध शराब भट्ठी बरामद कर 37 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटो में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>523 लीटर</u>** अवैध कच्ची शराब, **<u>05 अवैध शराब भट्ठी</u>** व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर **<u>37 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>36 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।

<u>वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 537/21 धारा 506 भादवि में वांछित अभियुक्त हिकमत अली पुत्र हसमत अली निवासी शेखनपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 280 लीटर अवैध शराब सहित 18 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>280 लीटर अवैध कच्ची, 04 शराब भट्ठी बरामद कर 18 अभियुक्त</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>18 अभियोग</u>** पंजीकृत किया गया।

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना धौरहरा	123 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिंगाही	37 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना ईसानगर	35 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना खीरी	35 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना हैदराबाद	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मितौली	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना संपूर्णानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना मैलानी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	280 लीटर	18 अभियुक्त गिरफ्तार